

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 102 वीं बैठक दिनांक 04-12-2006 को प्रातः 11.00 बजे एवं 05.12.2006 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या-1 एवं अतिरिक्त एजेण्डा 1 से 7 व 21 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एजेण्डा संख्या 2 से 10 एवं अतिरिक्त एजेण्डा 8 से 20 से वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.), एजेण्डा संख्या 11 से 13 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) द्वारा तैयार किया गया है जिसका संकलित कार्यवाही विवरण :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री मोहन लाल गुप्ता, माननीय विधायक राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. श्री नवरतन राजोरिशा, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. श्री जी.एल. गुप्ता, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री ज्ञानाराम, अति. आयुक्त (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
6. श्री रामनिवास मीणा, अति. आयुक्त (पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।
7. श्री मातादीन शर्मा, अति. आयुक्त (एल.पी.सी.) जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उपायुक्त जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री महेंद्र पारख, उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन-5 जविप्रा, जयपुर।
6. श्री देवाराम सेनी, उपायुक्त जोन-6, जविप्रा जयपुर।
7. श्री गिरीराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती रश्मि गुप्ता, उपायुक्त जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री भगवान सहाय शर्मा, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री कृष्णावतार त्रिवेदी, उपायुक्त जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री लेखराज तोषवाडा, उपायुक्त जोन-11 जविप्रा, जयपुर।
12. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
13. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी-स्कीमस्) जविप्रा, जयपुर।
14. श्रीमती आशा अवस्थी, उप नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
15. श्री हीरालाल, उप नगर नियोजक, जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
16. श्री शेराराम, उप नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
17. श्री गोपाल सेनी, सहायक नगर नियोजक, जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
18. श्री भरत माली, सहायक नगर नियोजक, जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
19. श्री हरि प्रसाद, सहायक नगर नियोजक, जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
20. श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक नगर नियोजक जोन-12, जविप्रा, जयपुर।

## एजेण्डा विवरण:-

### एजेण्डा आइटम सं:-1

विषय:- बीपीसी (ले आउट प्लान) की 101 वीं बैठक दिनांक 10.11.2006 को सम्पन्न हुई के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 101 वीं बैठक दिनांक 10-11-06 के एजेण्डा संख्या 3 में हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की सुन्दर विहार योजना, टॉक रोड दुर्गापुरा के भूखण्ड सं0 24 का प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा पूर्व में सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भूखण्डों के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया गया जो कार्यवाही विवरण में अंकित है लेकिन भूखण्ड संख्या 24 सुन्दर विहार के संबंध में लिया गया निर्णय त्रुटिवश सम्मिलित होने से रह गया था अतः नीतिगत निर्णय के उपरान्त निम्न पैरा सम्मिलित किया जावे।

“समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 24 सुन्दर विहार योजना के जोन द्वारा एजेण्डा में प्रस्तावानुसार आवासीय में जोड़ने पर योजना का आवासीय प्रतिशत 60:36 ही बनता है अतः इस भूखण्ड को अनुमोदित किया जाता है एवं जोन स्तर पर इसके नियमन की कार्यवाही की जावे।

शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।

### एजेण्डा आइटम सं.-2(जोन-06)

विषय:- श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बालाजी विहार-7 बाबत।

गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बालाजी विहार-7 का अनुमोदन किया गया है। जेड एल सी के निर्णय में भू सं. 33 से 46 के पूर्व में स्थित सड़क को 30' 0" को 40' 0" किया गया है, को 30'-0" ही रखा जावे।

### एजेण्डा आइटम सं.-3(जोन-06)

विषय:- श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति संगम कोलोनी के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात्, श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा 10' कच्चे रास्ते को 20' करने एवं भू सं. 3 से 15 की चौड़ाई कम करते हुए फार्म हाउस के पूर्व की ओर रास्ता छोड़ने हेतु निवेदन किया गया है, को समिति द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् निरस्त किया।

### एजेण्डा आइटम सं.-4(जोन-6)

विषय:- मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति योजना -4-एस के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् योजना के कार्योत्तर की स्वीकृति प्रदान की गई।

### एजेण्डा आइटम सं.-5(जोन-07)

विषय:- निजी विकासकर्ता की योजना कनक वृदावन पूर्व अनुमोदित योजना का संशोधित अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया व समिति को अवगत कराया गया कि निजी विकासकर्ता द्वारा संशोधित योजना खसरा नं. 130 से 142 की भूमि सहखातेदारों की होने पर भूमि का स्थान परिवर्तन करते हुए एवं योजना के आवासीय भूखण्डों की संख्या पूर्व अनुमोदित प्लान में कम करते हुए गुप हाउसिंग के कुल 8 भूखण्ड सृजित किये गये है। जो 1500 वर्ग गज से अधिक है। जोन द्वारा समिति को यह

भी अवगत कराया गया कि ग्राम सिरसी के ख.नं. 1756 एवं 1757 के 1/2 के हिस्से दारान से पूर्व में योजना कब्जे शुदा 1/2 हिस्से बाबत सहमति है एवं तदनुसार ही प्रार्थी के स्वामित्व के अन्तर्गत भूमि को ही योजना मानचित्र पर सुपर इम्पोज किया गया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् योजना के नियमन का निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

1. जोन द्वारा खसरा नम्बर 1756, 1757 के स्वामित्व व खातेदारों के हिस्से संबंधित तथ्यों की पुष्टि पत्रावली पर करवा ली जावें।
2. योजना में 1500 वर्गगज से अधिक भूखण्डों की स्वीकृति राज्य सरकार से ले ली जावें।
3. एच टी लाईन से प्रभावित क्षेत्रों में सेफ्टी कोरीडोर रखा जावें। इससे प्रभावित व्यक्तिगत भूखण्डों का अनुमोदन नहीं किया जावे। जहाँ गुप हाउसिंग भूखण्ड प्रभावित है, को सेफ्टी कोरीडोर अंकित किया जावे।
4. राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में 2 प्रतिशत व्यवसायिक क्षेत्र में जनसाथी रोजगार योजना के अन्तर्गत रखी जावे।

#### एजेण्डा आइटम सं.-6 (जोन-07)

विषय :- भूखण्ड संख्या 57-बी (Not Approved) से मुक्त करने के सम्बन्ध में

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

#### एजेण्डा आइटम सं.-7(जोन-07)

विषय :- भूखण्ड संख्या 22-ए (Not Approved) से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

#### एजेण्डा आइटम सं.-8(जोन-07)

विषय:- भूखण्ड संख्या 70-ए, ओम नगर पर अंकित क्रॉस हटाने हेतु।

जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार भूखण्ड अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया मौके पर भूखण्ड में व्यावसायिक गतिविधि चल रही है। परन्तु गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटित हैं। अतः आवासीय प्रयोजन हेतु इस भूखण्ड का नियमन किया जावे। व्यावसायिक गतिविधि के बारे में अलग से कार्यवाही नियमानुसार जोन स्तर पर की जाए।

#### एजेण्डा आइटम सं.-9(जोन-07)

विषय:- माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये फैसले के संबंध में भूखण्ड संख्या 8, 9 एवं 11 वैशाली एनक्लेव योजना के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि भू. सं. 8, 9 एवं 11 का क्षेत्रफल जो फैसेलिटी एरिया में बढ़ाया गया है को भूखण्डों में सम्मिलित किया जावें। सड़क के लिए धटाया गया क्षेत्रफल यथावत रखा जावे।

#### एजेण्डा आइटम सं.-10(जोन-07)

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् जोन द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

#### एजेण्डा आइटम सं.-11 (जोन-11)

विषय:- दी सांगानेर को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० सांगानेर की आवासीय योजना (गणेश विहार) ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया। सहायक नगर नियोजक जोन ने बैठक में बताया कि योजना में 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण है तथा आवासीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही जोन द्वारा अलग से की जा रही है इसलिए निम्न शर्तों के साथ योजना को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. योजना में 30'-0" से कम चौड़ी सड़कों को 30'-0" किया जावे।
2. हाइटनेशन लाइन के नीचे के भूखण्डों का नियमन हाइटनेशन लाइन हटने के पश्चात् किया जावे।
3. इस योजना तक पहुँचने के मध्य में भूमि प्राधिकरण की है इसलिए इस भूमि में से रास्ता दिया जाने के कारण इस भूमि की राशि नियमन राशि में शामिल की जावे।
4. योजना में निर्मित भूखण्ड 10 प्रतिशत से अधिक है इसलिए प्रस्तुत योजना में जोन द्वारा प्रस्ताव के अनुसार सड़कों की चौड़ाई रखी जावे।
5. भू-उपयोग परिवर्तन की पूर्ण कार्यवाही जोन द्वारा संपादित की जावे।

#### एजेण्डा आइटम सं.-12 (जोन-11)

विषय:- श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति योजना, सेटलमेन्ट नगर का संशोधित योजना मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। उपायुक्त जोन द्वारा समिति को बताया कि इस योजना से संबंधित रिकार्ड भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों की आवास समिति द्वारा प्रस्तुत किया है तथा गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की इस योजना का रिकार्ड आयकर विभाग द्वारा सीज किया हुआ है। इसलिए विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि सहकारी समिति द्वारा ही प्राधिकरण में रिकार्ड प्रस्तुत किया जावे। आवास समिति के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि सहकारी समिति द्वारा प्राधिकरण में रिकार्ड प्रस्तुत कर दिया जायेगा। सहकारी समिति द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत करने पर यदि रिकार्ड में भूखण्डधारियों की संख्या पूर्व स्वीकृत योजना मानचित्र में उपलब्ध भूखण्डों से अधिक है तथा वे भूखण्ड से वंचित है तो संशोधित मानचित्र में दर्शाये अनुसार सुविधा क्षेत्र में प्रस्तावित भूखण्डों को स्वीकृत किया जाये। यदि रिकार्ड के अनुसार भूखण्डधारी भूखण्ड से वंचित नहीं है तो सुविधा क्षेत्र में दर्शाये भूखण्डों को स्वीकृत नहीं किया जावे।

#### एजेण्डा आइटम सं.-13 (जोन-12)

विषय:- श्री सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना तिरुपति टाऊन के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया विचार विमर्श दौरान यह तथ्य समिति के समक्ष लाये गये कि सेक्टर प्लान में जो 60'-0" सेक्टर रोड दर्शायी है वहाँ पूर्व व दक्षिण की ओर मकान बन गये हैं तथा मौके पर 30'-0" ही सड़क उपलब्ध है इसलिए यहाँ पर 60'-0" सड़क नहीं बनाई जा सकती है। जबकि योजना के पूर्व में 60'-0" सड़क मौके पर उपलब्ध है किन्तु सेक्टर प्लान में यह सड़क नहीं दर्शायी गई है

1. सेक्टर प्लान में जो 60'-0" सेक्टर रोड प्रस्तावित है वहाँ पर मकान बन जाने के कारण 60'-0" सड़क बनाया जाना संभव नहीं है इसलिए इस सेक्टर रोड को विलोपित किया जावे।
2. मौकें पर जो 60'-0" सड़क उपलब्ध है उस सड़क को सेक्टर प्लान में दर्शाया जावे।
3. योजना में 60'-0" सड़क पर प्रस्तावित दुकानों को अस्वीकृत किया जावे।
4. योजना में एल.टी. लाइन के नीचे के भूखण्डों को एल.टी. लाइन हटने के पश्चात् ही नियमन किया जावे।
5. योजना में 30'-0" से कम सड़कों को कम से कम 30'-0" किया जावे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओं पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गये:-

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-1 (जोन-5)

विषय:- गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कल्याणपुरी के भूखण्ड संख्या 1 सी के नियमन के संबंध में।

प्रकरण पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 1 सी भूखण्ड संख्या 1 का उपविभाजित भाग है अतः पूरे भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाकर अनुमोदित किये जाने पर आवासीय प्रतिशत 70 से कम बनता है अतः भूखण्ड संख्या 1 को पूर्ण रूप से सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जाकर अनुमोदित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-2

विषय:- सहकारी मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना भगवती नगर प्रथम के भूखण्ड संख्या-35 के संबंध में।

प्रकरण पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड मौकें पर निर्मित है एवं एजेण्डा में उल्लेख अनुसार आवेदक द्वारा रहवास के सबूत के तौर पर वर्ष 1994 का बिजली का बिल एवं वर्ष 1997 का टेलीफोन बिल प्रस्तुत किया है। अतः भूखण्ड को आवासीय प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-3

विषय:- मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिवपुरी के भूखण्ड सं. ई-1, ई-16 से ई-20 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने बाबत।

मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिवपुरी के भूखण्ड सं. ई-1, ई-16 से ई-20 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में बी.पी.सी. की 100 वीं बैठक दिनांक 21.09.06 में लिये गये निर्णयानुसार माननीय विधायक महोदय श्री मोहनलाल गुप्ता को मौका निरीक्षण करवाया गया एवं प्रकरण पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्डों को प्रस्तावित एजेण्डा अनुसार आवासीय में सम्मिलित करने पर आवासीय प्रतिशत 58.43 ही बनता है अतः इन भूखण्डों को सुविधा से मुक्त किये जाकर नियमन की कार्यवाही की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-4

विषय:- तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बुद्ध विहार के योजना अनुमोदन के संबंध में

प्रकरण पर विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. वर्तमान में सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित योजना मानचित्र के अनुसार पूर्व अनुमोदित योजना सूर्य नगर से 40'फीट चौड़ी सैक्टर रोड योजना बुद्ध विहार के भूखण्ड संख्या ए-7, ए-8, ए-12, ए-16 से होती हुई है मौके पर निर्माण होने के कारण योजना के भूखण्ड संख्या ए-5 से ए-8, ए-19, ए-20 के मध्य स्थित 30' चौड़ी सडक को 40' सडक चौड़ी सेक्टर रोड में परिवर्तन किया जावें।
2. भूखण्ड संख्या बी-128, बी-129, बी-130, बी-32 से बी-40 तक 11 के0वी0 की हाई टेंशन लाईन से प्रभावित है। इनका नियमन लाईन हटने के पश्चात् किया जावें।
3. भूखण्ड संख्या ए-11 से ए-14 तक के भूखण्डों में फ़ैक्टरी का निर्माण किया हुआ है। इनका नियमन नहीं किया जावें।
4. समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र अनुसार स्थाई डिमार्केशन सहकारी समिति के स्तर पर किया जावें।
5. सेक्टर प्लान अनुसार 80' चौड़ी रोड को योजना के प्रस्तावनुसार अनुमोदित किया जावें।
6. सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत पुरानी सदस्यता सूची में 258 सदस्य थे। अब योजना योजना में 100' 80' 60' व 40' फीट चौड़ी रोड आने के कारण समिति द्वारा किये गये भूखण्डों के उपविभाजन/संशोधन के पश्चात् नई सदस्यता सूची के अनुसार 269 सदस्य प्रस्तुत किये गये हैं। सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र एवं संशोधित सदस्य सूची के अनुसार योजना को अनुमोदित किया जावे।
7. योजना का आवासीय क्षेत्र 61.57 प्रतिशत है। योजना में लगभग 10 प्रतिशत निर्माण किया जा चुका है। अतः योजना का अनुमोदन किया जावें।

#### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-5

विषय:- कृषि अनुसंधान नगर (श्यामपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति) के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. सहकारी समिति द्वारा पुरानी सदस्य सूची में 110 सदस्य थे। समिति द्वारा किये गये भूखण्डों के उपविभाजन/संशोधन पश्चात् अब नई सदस्यता सूची अनुसार 122 सदस्य बनाये गये हैं। अतः संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृत किया जावें।
2. योजना का आवासीय क्षेत्रफल 60.69 प्रतिशत एवं व्यावसायिक क्षेत्रफल 0.59 प्रतिशत है। इस प्रकार योजना का कुल आवासीय क्षेत्रफल 61.28 प्रतिशत है। योजना मौके पर पूर्ण रूप से रिक्त है। निर्धारित मापदण्ड से 1.28 आवासीय प्रातिशत अधिक के संबंध में भूखण्ड संख्या 13 से 24 तथा 25 से 36 के मध्य स्थित 30' चौड़ी सडक को 40' चौड़ी किये जाने पर योजना का आवश्यक क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है एवं व्यावसायिक भूखण्डों का अनुमोदन नहीं किये जाकर इस भाग को सुविधा क्षेत्र में रखा जावें। अतः नियमानुसार आवासीय क्षेत्रफल किये जाकर योजना स्वीकृति की कार्यवाही की जावें।
3. खसरा सीमा से प्रभावित भूखण्डों का नियमन मौका रिपोर्ट के आधार पर किया जावें।
4. एच.टी./एल.टी लाईन से प्रभावित भूखण्डों का नियमन एच.टी./एल.टी लाईन हटने के पश्चात् किया जावें।
5. कॉर्नर भूखण्डों में नियमानुसार कॉर्नर गोलाई कम किया जावें।
6. योजना में प्रस्तावित 60' सैक्टर सडक योजना पशुपतिनाथ नगर के भूखण्ड संख्या 28, 29, 30 के मध्य से होती हुई गुजरती है। इसको लिंक करते हुए योजना में 60' सेक्टर रोड रखी जावें।

7. योजना में सृजित व्यावसायिक भूखण्डों के अनुमोदन नहीं किये जाकर इस भू-भाग को सुविधा क्षेत्र के अर्न्तगत रखा जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-6

विषय:- योजना मोहन नगर (विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति) के अनुमोदन के बाबत।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. योजना की 90 बी के अनुसार योजना का क्षेत्रफल 67095.60 वर्ग गज है जिसके अनुसार योजना की गणना निम्न प्रकार से ही रखते हुए अनुमोदन किया जावे :-

1. आवासीय भूखण्डों का क्षेत्रफल	39158.98 वर्ग गज	58.36 प्रतिशत
2. सडक क्षेत्रफल	22776.30 वर्ग गज	33.94 प्रतिशत
3. पार्क/सुविधा क्षेत्र	1466.66 वर्ग गज	2.18 प्रतिशत
4. स्ट्रीप ऑफ लैण्ड क्षेत्रफल	257.45 वर्ग गज	0.38 प्रतिशत
5. ओपन लैण्ड	3,436.24 वर्ग गज	5.14 प्रतिशत
कुल	67095.6 वर्ग गज	100 प्रतिशत

2. भूखण्ड संख्या ए-74 से ए-76, ए-77 से ए-80, 82, 83, तथा चार छोटे बिना नम्बर वाले भूखण्ड खसरा सीमा से बाहर स्थित होने के कारण इन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।
3. भूखण्ड संख्या ए-73, 1 व 46 में खसरा सीमा से प्रभावित भाग को भूखण्ड के क्षेत्रफल से हटवाया जावे।
4. भूखण्ड संख्या 80 व 81 60' चौड़ी सैक्टर रोड से प्रभावित है। इन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।
5. भूखण्ड संख्या 80, 81 के पश्चिम दिशा की तरफ स्थित 9 छोटे बिना नम्बर के भूखण्डों के संबंध में पूर्व में बीपीसी (एलपी) में सुविधा क्षेत्र में रखे जाने का निर्णय लिया गया तदनुसार ही यथास्थिति सुविधा क्षेत्र रखा जावे।
6. भूखण्ड संख्या 'ए-70 व ए-71' मौके अनुसार 300-300 वर्ग गज के स्थित है तथा सहकारी समिति के द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में इन्हें 200-200 वर्ग गज का दर्शाया गया है। मौके की स्थिति एवं स्वामित्व दस्तावेजों के सत्यापन के उपरान्त नियमन की कार्यवाही की जावे।
7. भूखण्ड सं. 18, 19 व 71, 72 पूर्व में अनुमोदित मानचित्र एवं सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में एक-एक भूखण्डों में दोनों नम्बरों को सम्मिलित करते हुए दर्शाये हुए है जबकि मौका अनुसार भू.सं. 18, 19 व 71, 72 अलग-अलग उपलब्ध है अतः इन भूखण्डों को अलग-अलग रखा जाकर नियमन की कार्यवाही की जावे।
8. सहकारी समिति द्वारा प्रस्तावित मानचित्र में भू.सं. 59, 60 दर्शाया हुआ नहीं है तथा पूर्व बीपीसी (एलपी) द्वारा अनुमोदित मानचित्र में भू.सं. 59, 60 को एक ही भू. में दर्शाया हुआ है तथा इस स्थान पर सहकारी समिति के मानचित्र में भू.सं. 61 अंकित किया हुआ है। संशोधित मानचित्र में सहकारी समिति के मानचित्र के अनुसार भू.सं. 61 व 58 के बीच में 125 वर्ग गज के भूखण्ड की भूमि उपलब्ध होती है जिसका नियमन सहकारिता विभाग द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर स्वामित्व दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त किया जावे।

9. प्रस्तावित योजना क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन जविप्रा की अधिसूचना के तहत आवासीय/मिश्रित किया जा चुका है अतः योजना का आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन के अनुसार नियमन किया जावे।
10. बीपीसी एलपी की 83 वीं बैठक दिनांक 29.07.05 के निर्णयानुसार योजन मानचित्र के अनुमोदन में 60' चौड़ी सड़क को यथावत रखा जावे।
11. सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत मूल सूची के अनुसार संदस्यों की संख्या 161 है तथा योजना में शैक्षणिक अभियन्ता विकास समिति के सदस्यों की सूची में भूखण्ड सं. ए-5 से ए-20, ए-26 से ए-56, ए-64 से ए-69 कुल 53 भूखण्डों की संख्या अंकित है एसी स्थिति में पत्रावली में उपस्थित दोनों सूचियों के संबंध में सहकारिता विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकर भूखण्डों के स्वामित्व दस्तावेजों के सत्यापन के बाद भूखण्डों का नियमन किया जावे।  
उपरोक्त शर्तों के साथ योजना मानचित्र अनुमोदन किया जावे।

### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-7

विषय:- शिव शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना पवन विहार के अनुमोदन संबंध में।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1. वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार योजना का पी.टी. सर्वे पूर्व अनुमोदित योजना मानचित्र का परीक्षण करते हुए जोन स्तर पर करवाया गया है अतः संशोधित योजना मानचित्र को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि जोन स्तर पर संशोधित योजना मानचित्र के संबंध में विज्ञप्ति जारी की जाकर संशोधित योजना मानचित्र 10 दिवस के लिये योजना के भूखण्डधारियों से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु जोन कार्यालय में उपलब्ध करवाया जावे जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो।
2. जोन स्तर पर पी.टी. सर्वे के आधार पर तैयार मानचित्र के अनुक्रम में सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित सूची का परीक्षण उप रजिस्ट्रार सहकारिता से करवाया जावे।
3. एच.टी./एल.टी लाईन से प्रभावित भूखण्डों का नियमन एच.टी./एल.टी लाईन हटने के पश्चात् किया जावे।
4. योजना में प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र के लिये 30' एप्रोच सड़क रखी जावे।
5. योजना का आवासीय क्षेत्रफल 69.20 प्रतिशत है अतः राज्य सरकार के जारी आदेशों के क्रम में योजना का अनुमोदन किया जावे।

### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-8 (जोन - 7)

विषय:- लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कनक विहार (स्कीम नं. 31) सिरसी रोड के अनुमोदन के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तु एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि:-

1. भूखण्ड संख्या 1 से 11, 65 से 67, 72 से 74, 77 से 80 के पश्चिम में ड्राफ्ट सेक्टर प्लान के अनुसार 80' सड़क प्रस्तावित है जो आगे जाकर 60' सड़क से मिलती है अतः समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् उक्त सड़क को 60' किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः ढाका नगर में भी तदनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जावे।
2. भूखण्ड संख्या 83 के दक्षिण में स्थित अन्य योजना से आ रही 40' सड़क को Smooth Curve देते हुए इस योजना से लिंक किया जावे।



3. एल.टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों का नियमन एल.टी लाईन शिफ्ट करने के बाद किया जाये।
4. योजना की आन्तरिक सडकों को कम से कम 30' किया जायें।
5. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार रोड आर ओ डब्ल्यू के पश्चात् स्थित प्लान्टेशन कोरीडोर प्रावधान को मौके स्थिति के अनुसार रखे जाने में आने वाली जटिलता के बारे में ऑथोरिटी के समक्ष उचित निर्णय हेतु रखा जायें निर्णयानुसार प्लान्टेशन कोरीडोर से प्रभावित भूखण्डों को पृथक से विचार किया जावे।
6. भूखण्ड संख्या 1, 21, 22, 51 व 52 एवं दुकान संख्या 1 से 32 तक सडक मार्गाधिकार में आने के कारण अस्वीकृत की जावे।
7. योजना में केवल आवासीय भूखण्डों का ही नियमन किया जायें।
8. योजना का भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार व्यवसायिक से आवासीय किया जायें।

#### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-9 (जोन - 7)

विषय:- भैरव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की रोशन नगर ए एवं बी के अनुमोदन के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात योजना का नियमन किये जाने का निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भूखण्ड संख्या ए-1, ए-38, बी-1 का आंशिक भाग बी-76 एवं दुकान नं. ए-1 से ए-18, बी-1 से बी-16 200' आर.ओ.डब्ल्यू में आते हैं अतः इनका नियमन नहीं किया जायें।
2. भूखण्ड संख्या 37, बी-1 का आंशिक भाग, बी.-75, बी-76 प्लानटेशन कोरिडोर में स्थित होने के कारण इनका नियमन स्थगित रखते हुए प्लानटेशन कोरिडोर के संबंध में बैठक में पृथक से लिये गये निर्णयानुसार एजेण्डा बनाकर प्राधिकरण की बैठक में रखा जायें।
3. बी-14 व बी-15, 60' सेक्टर रोड में आने के कारण इनका नियमन नहीं किया जायें।
4. भूखण्ड संख्या बी-1 से बी-13 के सामने स्थित 40' सडक सेक्टर प्लान में 60' दर्शित हैं अतः इस सडक की चौड़ाई 40' से बढ़ाकर 60' की जायें एवं भू. सं. 20 से 36 के पश्चिम में स्थित 35' सडक को 40' किया जावे।
5. एल.टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों का नियमन एल.टी लाईन शिफ्ट करने के पश्चात किया जायें।
6. मास्टर विकास योजना-2011 के अनुसार योजना की भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक दर्शाया गया है अतः योजना का भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार व्यवसायिक से आवासीय किया जायें।

#### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-10 (जोन -- 7)

विषय:- भैरव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की आदिनाथ नगर योजना के अनुमोदन के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात पाया गया कि योजना में 8.33 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल हैं एवं राज्य सरकार द्वारा इस योजना के नियमन की स्वीकृति दिनांक 14.11.06 को अध्यक्ष, जविप्रा द्वारा दी जा चुकी है। अतः योजना का नियमन निम्नानुसार कर दिया जावे:-

1. भूखण्ड संख्या 89 से 98 व 106, 132 से 136 के सामने 11 के.वी.एच.टी. लाईन से 15' सुरक्षित दूरी रखते हुए इन भूखण्डों का नियमन किया जायें।

2. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार रोड आर ओ डब्ल्यू के पश्चात् स्थित प्लान्टेशन कोरीडोर प्रावधान को मौखिक स्थित के अनुसार रखा जाने में आने वाली जटिलता के बारे में ऑथोरिटी के समक्ष उचित निर्णय हेतु रखा जावे निर्णयानुसार प्लान्टेशन कोरीडोर से प्रभावित भूखण्डों को पृथक से दिचार किया जावे।
3. योजना में दर्शित दुकानों को नियमन नहीं किया जावे।
4. भूखण्ड संख्या 1 से 6, 57 से 68 के पूर्व में प्रस्तावित 40' सडक को सेक्टर प्लान के अनुसार 60' किया जावे।
5. योजना की आन्तरिक 30' से कम सडक की चौड़ाई कम से कम 30' रखी जावे।
6. भूखण्ड संख्या 9 व 32 में से गुजर रही एल.टी. लाईन शिफ्ट होने के पश्चात इनका नियमन किया जावे।
7. योजना का भू-उपयोग परिवर्तन व्यवसायिक से आवासीय किया जावे।
8. समिति द्वारा प्रस्तुत सूची में भूखण्ड संख्या 153 से भूखण्ड संख्या 163 तक नहीं दर्शाया है। अतः इनका नियमन नहीं किया जावे।
9. योजना में दर्शाये गए भूखण्ड सं. 48, 49, 50, 63, 64, 160, 161 एवं ख.नं. 690 की भूमि अन्य भूमि होने के कारण योजना का भाग नहीं माना गया।
10. योजना में 10 बिस्वा भूमि अधिक है अतः नियमन कैम्प के दौरान भूखण्डधारियों से नियमन राशि नियमानुसार ली जावे।

#### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:- 11 (जोन - 7)

विषय:- लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की कनक विहार विस्तार (स्कीम नं. 35) सिरसी रोड के अनुमोदन के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात पाया गया कि योजना का नियमन निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया कि :-

1. समिति द्वारा प्रस्तुत सूची में कुल भूखण्ड संख्या 226 अंकित हैं जिसमें भूखण्ड संख्या 95 से 101 एवं 118 से 121 (11 भूखण्ड) अंकित नहीं हैं अतः यह 11 भूखण्ड अस्तित्व में नहीं होने के कारण इनका नियमन हीं किया जाये।
2. भूखण्ड संख्या 1, 74, 75, 76 का आंशिक भाग 200' की सडक से प्रभावित है अतः इन भूखण्डों के आंशिक भाग को अस्वीकृत किया जावे।
3. भूखण्ड संख्या 1, 73, 74, 75 व 76 का आंशिक भाग प्लानटेशन कोरिडोर में आने के कारण इन भूखण्डों के नियमन को स्थगित रखते हुए प्लानटेशन कोरिडोर को एजेण्डा बनाकर अलग से प्राधिकरण की बैठक में रखा जावे।
4. 11 के. वी. एच. टी. लाईन से 15' की सुरक्षित दूरी में भूखण्ड संख्या 6 व 67 की लगभग सम्पूर्ण भूमि आने के कारण इनका नियमन नहीं किया जावे एवं भूखण्ड संख्या 80 व 81 का आंशिक भाग 11 के. वी. एच. टी. लाईन को 15' सुरक्षित दूरी छोड़ने के पश्चात शेष बचे हुए भाग में न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल मिल जाने के कारण इनके आंशिक भाग का नियमन कर दिया जावे।

5. एल. टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों का नियमन एल. टी. लाईन शिफ्ट किये जाने के पश्चात कर दिया जावे।
6. भूखण्ड संख्या 1 से 39 व भूखण्ड संख्या 186 से 197 एवं 171 के सामने स्थित एवं रोशन नगर को मिलाने वाली 30' सडक सेक्टर प्लान में 60' दर्शायी गयी है अतः इन सडकों को 30' के स्थान पर 60' किया जावे।
7. मास्टर विकास योजना-2011 के अनुसार योजना का भू-उपयोग व्यवसायिक दर्शाया गया है अतः योजना की भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक से आवासीय किया जावे।

**अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:- 12 (जोन - 6)**

विषय:- श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बालाजी विहार 25 के अनुमोदन के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् योजना के नियमन का नियमानुसार निर्णय लिया गया:-

1. योजना में दर्शायी गई दुकान सं. 1 से 26, 27 से 62, 65 से 69, 69 से 73 एवं इसके आगे दर्शायी गई पार्किंग को अस्वीकृत किया जाकर रोड साईड फेसिलिटी अंकित किया जावे।
2. भूखण्ड सं. ए-70, ए-75, ए-76 में न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण इनका नियमन नहीं किया जावे।
3. योजना में सेक्टर 31 की 60' से प्रभावित दुकान सं. 63 व 64 एवं भूखण्ड सं. ए-66 से ए-87 के सडक से प्रभावित भाग को छोड़ते हुए शेष बचे हुए भूखण्डों का नियमन किया जावे। इन भूखण्डों में अग्र सेट बैक में शिथिलता देते हुए 15' के स्थान पर 10' किया जावे।

**अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:- 13 (जोन - 2)**

विषय:- संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जगदम्बा कॉलोनी के अनुमोदित मानचित्र 2002 में संशोधन के संबंध में।

बैठक में संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जगदम्बा कॉलोनी के संबंध में चर्चा की गई। बीपीसी की बैठक दि. 7.3.02 को जगदम्बा कॉलोनी को अनुमोदित किया गया। अनुमोदित मानचित्र में ख. नं. 29/64 की 1140 वर्ग गज भूमि परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के नाम अंकित है। अनुमोदित मानचित्र में इस 1140 वर्ग गज भूमि पर दुकानें दर्शायी हुई हैं। नियमानुसार परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व की भूमि को योजना का भाग नहीं माना जाना चाहिए, तथा परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता है।

अतः परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की 1140 वर्ग गज भूमि को योजना के क्षेत्रफल में से कम किया जाकर अनुमोदित मानचित्र में संशोधन किया जावे।

पूर्व अनुमोदित मानचित्र में ख. नं. 41 की 268 वर्ग गज भूमि सिवायचक है। इस भूमि की नियमन दर की गणना राजकीय भूमि मानते हुए की जाये। योजना की शेष भूमि निजी खातेदारी से अवाप्तशुदा भूमि है जो कि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। इस अवाप्तशुदा शेष भूमि की नियमन दर की गणना सामान्य नियमन दर तीस रुपये प्रति वर्ग गज की दर से की जाये। नियमन दर की गणना में राजकीय भूमि 268 वर्ग गज को पूर्ण योजना की नियमन दर पर प्रभारित (Charge) किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-14 (जोन - 7 )

विषय:- संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना आफीसर्स कॅम्पस के भूखण्ड सं. 436 से 443 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया व पाया गया कि कि भूखण्ड सं. 436 से 443 की पूर्व में बीपीसी-II का निर्णय दिनांक 29.05.1999 के अनुसार नियमन की कार्यवाही की जा चुकी है एवं विकास समिति के पक्ष को बीपीसी -II की बैठक दिनांक 21.09.2006 में सुना जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त पत्र में यह लिखा गया है कि योजना में आवासीय उपयोग 60.60 प्रतिशत ही है अतः राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है अतः सम्पूर्ण तथ्यों के मद्देनजर समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण पश्चात् निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 436 से 443 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-15 (जोन -7)

विषय:- मोती भवन गृह निर्माण स.स. की योजना हनुमान नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या 534 से 538 के सामने स्थित फेंसिलिटी एरिया के Enduse निर्धारण बाबत।

समिति के समक्ष विचार विमर्श पश्चात् भूखण्ड संख्या 534 से 538 के सामने स्थित फेंसिलिटी एरिया का Enduse पार्क एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-16 (जोन -1 )

विषय:- मौजी हा0 को सोसाइटी की योजना मौजी नगर में भू. सं. 1 से 27 तक का नियमन किये जाने के निर्णय बाबत।

प्रकरण पर चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रश्नगत भूखण्डों में शामिल एक भूखण्ड के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में अपील/रिट दायर की गई है। इस संबंध में प्राधिकरण अभिभाषक श्री भरत व्यास से दूरभाष पर जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अपील/रिट प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः माननीय उच्च न्यायालय में अपील/रिट किए जाने के कारण प्रकरण पर विचार-विमर्श नहीं किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-17 (जोन - 1 )

विषय:- भू. सं. सी -5 ए व सी -5 डी सी-स्कीम योजना में उत्तर व दक्षिण दिशा के सेटबैक बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि पुर्नगठित भू. सं. सी-5 ए व सी- 5 डी के दक्षिण में स्थित साईड सेट बैक को 6 मी. के स्थान पर 4.5 मी. किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-18 (जोन - 1 )

विषय:- ए-19, बी-37 व बी-38 जनता कालोनी को पुर्नगठित किये जाकर पट्टा जारी करने के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि -

भू. सं. ए-19, बी -37 व बी -38 को रास्ता उपलब्ध था किन्तु प्राधिकरण द्वारा एक अतिरिक्त भूखण्ड इस स्वीकृत 40' सड़क के आंशिक भाग पर सृजित कर बेचान किया जा चुका है। इस कारण दो अन्य भूखण्ड पर जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण ही परिस्थितिवश इस भूखण्ड का पुर्नगठन कराया जाना आवश्यक है अतः प्रार्थी से पुर्नगठन शुल्क ना लिया जावें व इन भूखण्डों का पुर्नगठन कर उक्त भूखण्डों की लीजडीड जारी कर दी जावें। एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के संबंध में विचार कर निर्णय लिया गया पुर्नगठित भूखण्डों के पास उपलब्ध भूमि का उपयोग क्या रखा जाना है, पर पृथक से निर्णय किया जावेंगा।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-19 (जोन - 7)

329

विषय:- हनुमान नगर ए ब्लॉक के भूखण्ड सं. ए-1 से ए-22 के अग्र भाग में भवन सीमा निर्धारण हेतु।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि-

बीपीसी II दिनांक 10.11.2006 की अनुपालना में समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण पश्चात् प्रकरण को बीपीसी II की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत सडक की चौड़ाई 160' ही रखी जावे किन्तु हनुमान नगर ए-ब्लॉक में क्वीन्स रोड तिराहे से खातीपुरा तिराहे तक अधिकतर भूखण्ड निर्मित हो गये अतः सडक के इस भाग में रोड सेक्शन निम्नानुसार रखा जावे:-

सडक का Carriage way- 120'

सडक के मध्य बिन्दु से 60' के पश्चात् दोनों तरफ 20'-20' की On street Parking रखी जावे। इस 20' की Parking street स्वामित्व जविप्रा का रहेगा एवं जो भूखण्डधारी इस On street Parking को उपयोग में लेंगे उनसे पार्किंग चार्जेज वसूल किये जावेंगे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-20 (जोन - 7)

विषय:- विज्ञप्ति मास्टर प्लान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सिरसी रोड से आधा किमी. की दूरी में दो सेक्टर सडक से कनकपुरा रेल्वे स्टेशन तथा गोविन्दपुरा ग्राम को जोडने बाबत।

इस प्रकरण को बीपीसी द्वितीय की बैठक दिनांक 10.11.2006 को प्रस्तुत किया गया था व बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण पश्चात् प्रकरण को पुनः बीपीसी में रखा गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत सडक के घुमाव को हटाते हुए इस सडक को रेल्वे लाईन के नजदीक प्रस्तावित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-21 (जोन-9)

विषय:- निजी विकासकर्ता की ग्राम चैनपुरा के खसरा नं. 122 से 125 व 131 से 132 एवं ग्राम नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा के खसरा नं. 309 से 310, 315 से 326, 334 से 354, 344/641, 344/642, 357 से 370, 372 से 373, 376 से 382, 412 से 427, 429 से 442, 409/668, 410/669, 322/670 कुल रकबा 18.47 हैक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित योजना पैराडाईज (निजी खातेदार) के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि:-

1. योजना का डिमार्केशन मौके पर नहीं है तथा सेक्टर प्लान की सडक के प्रस्तावित योजना मानचित्र में खसरा प्लान के अनुरूप दर्शायी गई है। अतः सेक्टर रोड की स्थिति जो भी मौके पर बनेगी वह खातेदार का मान्य होगी।
2. योजना मानचित्र जारी होने से पूर्व योजना का स्थाई डिमार्केशन खातेदार/प्रार्थी द्वारा करवाया जावे।
3. खसरा सीमा से लगते भूखण्डों का नियमन डिमार्केशन का मौका जाँच करवाये जाने के उपरान्त ही किया जावे।
4. योजना मानचित्र जारी होने से पूर्व फेसेलिटी में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण/विवाद खातेदार अपने खर्च से हटवाकर फेसेलिटी का सीमांकन करवायेगा।
5. योजना में इलेक्ट्रीक लाईन दर्शाई हुई है। अतः इलेक्ट्रीक लाईन से प्रभावित भूखण्डों का नियमन ईलेक्ट्रीक लाईन हटाने के पश्चात् ही किया जावे।
6. योजना का मौके पर निर्मित/समीपस्थ जविप्रा की अनुमोदित योजनाओं की सडकों से मिलान खातेदार/प्रार्थी द्वारा किया जावेगा।

7. योजना के जिन भूखण्डों में सैटबैक्स लगाने के पश्चात् न्यूनतम आच्छादित क्षेत्र प्राप्त नहीं होता है। उन्हें अनुमोदित नहीं किया जावे।
8. डिमाकॅशन के पश्चात् यदि मौके पर नेचुरल ड्रेनज लाईन है तो प्रभावित भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावे।
9. योजना में सरकारी भूमि की रेगुलर शेप लेने के लिए जमीन बराबर ली जाकर खातेदार की भूमि से समायोजित किया जावे।।
10. योजना में खातेदार के पुराने मकान एवं स्ट्रक्चरों का नियमन भूखण्डों में आये सैटबैक्स के अनुसार किया जावे।
11. कॉर्नर भूखण्डों की गोलाई नियमानुसार कम की जावे।
12. भूखण्ड संख्या जी-1 से जी-5 तक ग्रुप हाउसिंग तथा भूखण्ड संख्या 456 व्यावसायिक भूखण्डों का क्षेत्रफल 500 से अधिक तथा 1500 वर्ग मीटर से कम है के पेरामीटर्स भवन विनियम 2000 के अनुसार देय होंगे तथा भूखण्डों का निर्माण बी.पी.सी. (बी.पी.) के अनुमोदन के पश्चात् किया जावे।
13. योजना मे प्रस्तावित पार्कों को मानचित्र में सुविधा क्षेत्र एवं पार्क के रूप में पृथक से योजना मानचित्र में अंकन किया गया है। जिससे प्रस्तावित सुविधा क्षेत्रों को अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा सके।अतः सुविधा क्षेत्रों के रखा जाकर योजना अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।

*Handwritten signature*

सदस्य सचिव,  
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2006/डी- 163

दिनांक :- 14/12/06

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता
3. माननीय विधायक श्री नवरतन राजोरिया
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति० आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी), जविप्रा, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट/एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन ..... जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

*Handwritten signature*

सदस्य सचिव,  
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।